FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

हरिराम बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती मु0नं0 126 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/260

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-04-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी श्री पुष्पेन्द्र मीणा उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.05.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
28/05/25	वकील वादी उप०। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/08/2025 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 29/8/25 को पेश हो।	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 15/10/25 को पेश हो।	
15/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 30/10/25 को पेश हो।	
30/10/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। वादी की ओर से शपथ–पत्र pw_1, pw_2 पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये। दौराने बहस प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।	हीरालाल सुभाष [illegible]

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं पेशशुदा शपथ–पत्रों का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ''हीरा पुत्र झूंथा'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''हीरा पुत्र झूंथा'' की जगह ''हरीराम पुत्र झूंथाराम'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, सहकारी किसान कार्ड व अन्य जमाबन्दीयों तथा तहसीलदार रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं किः–

<u>आदेश</u>

तन ग्राम पुरानाबास पटवार हल्का पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 122, 136, 145, 158, 271, 742/126, 743/126, 744/127, 745/127 कुल किता 09 कुल रकबा 4.75 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम ''हीरा पुत्र झूंथा'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''हरीराम पुत्र झूंथाराम'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना